<u>न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं.2, प्रतापगढ़।</u>

राज्य बनाम वकील अहमद उर्फ मुण्डा आदि

सत्र परीक्षण संख्या– 1129/2021
मु.अ.संख्या–53/2021
धारा–302, 34, 323 भा.द.सं.
थाना–जेठवारा, जिला प्रतापगढ़।

दिनांक 30.09.2025

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण वकील अहमद उर्फ मुण्डा, बसीर एवं हामिद जिला कारागार से हाजिर आए। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु नियत है। किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से 54 ख इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आज पत्रावली निर्णय हेतु नियत है। दौरान बहस अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि तहरीर में ऐनुल व नसीम को चोटहिल कहा गया है, किन्तु दोनों साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जिस कारण आरोप साबित नहीं होता है। तहरीर में मजरूब साक्षी ऐनुल व नसीम को बताया गया है, किन्तु पूर्व में इन मजरूबों न तो आरोप पत्र में साक्षी बनाया गया है और न विवेचक द्वारा कोई कारण बताया गया है। दौरान विचारण दोनों मजरूबों को मुल्जिम के तौर पर तलब किया गया है, इसलिए इन्हें परीक्षित नहीं कराया गया और न ही इनको परीक्षित कराया जाना है। अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुनः सुनकर निर्णय पारित किया जाए और अभियोजन पक्ष को बहस के लिए पुनः अवसर प्रदान किया जाए।
2. इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है, मात्र प्रार्थना पत्र पर Seen की टिप्पणी अंकित की गयी है।
3. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
4. अभियोजन का प्रार्थना पत्र 54 ख स्वीकार किया जाता है। अभियोजन पक्ष को पुनः बहस का अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली वास्ते पुनः बहस हेतु दिनांक 07.10.2025 को पेश हो।

दिनांक 30.09.2025

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं–2 प्रतापगढ़।

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2025.09.30 14:11:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court